प्रेस नोट

दिनांक 05.04.2025, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दूसरे की जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 58 लाख रूपये की ठगी करने वाले 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, ठगी के 21 लाख 40 हजार 1 सौ रूपये व घटना में प्रयुक्त 08 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद चार पहिया वाहन (होण्डा अमेज) बरामद,-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व मु0अ0सं0-62/2025, धारा 126(2), 351(3), 352 बीएनएस से सम्बन्धित 06 नामजद व 01 प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों 01. शशांक तिवारी, 02. कृष्ण कुमार उर्फ रूस्तम, 03. अशोक चौहान, 04. अशोक यादव, 05. राजू मिश्रा, 06. शान्ति देवी, 07. काजल देवी को गिरधर बगिया थाना खरगूपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी के कुल 21,40,100/- रूपये (11,47,100 रूपये व 9,93,000/- रूपये RTGS), घटना में प्रयुक्त 08 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद चार पहिया वाहन(होण्डा अमेज) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री शत्रुहन लाल तिवारी पुत्र स्व0 राम विलास तिवारी निवासी खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा कीमती जमीन को सस्ते कीमत में दिलाने हेतु जमीन दिखाकर एडवांस में रूपये ले लिया गया। जमीन मालकिन मालती देवी जो मध्य प्रदेश में रहती है के स्थान पर काजल को मालती देवी बनाकर उनका फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक दिखाकर तथा भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल 58 लाख रूपये (35 लाख RTGS व 23 लाख कैश) अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। जब दिनांक 01.04.2025 को बैनामा कराने उपनिबन्धन कार्यालय बहराईच गया तो पता चला कि मालती देवी व मालती देवी का परिवार सभी सदस्य फर्जी है । तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0-61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस बनाम रूस्तम मिश्रा आदि 09 नामजद व 02 अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनित जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलास सहित टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष खरगूपुर को घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

आज दिनांक 05.04.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मैनुअल व तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त 06 नामजद व 01 प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों 01. शशांक तिवारी, 02. कृष्ण कुमार उर्फ रूस्तम, 03. अशोक चौहान, 04. अशोक यादव, 05. राजू मिश्रा, 06. शान्ति देवी, 07. काजल देवी को गिरधर बगिया थाना खरगूपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी के कुल 21,40,100/- रूपये (11,47,100 रूपये व 9,93,000/- रूपये RTGS), घटना में प्रयुक्त 08 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद चार पहिया वाहन(होण्डा अमेज) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाकर फर्जी दस्तावेज व दूसरे की कीमती जमीन को सस्ते कीमत में दिखाकर/बताकर बैनामा कराने के नाम पर ठगी करते है। गैंग के सभी सदस्यों द्वारा घूम घूमकर ऐसी जमीन खोजी जाती है जिसका स्वामी कही दूर प्रदेश में रहता हो ऐसी जमीन की जानकारी कर अभिलेखों की कॉपी तहसील से प्राप्त की जाती है । फिर उस जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने हेतु ग्राहक ढूढते है। इसी क्रम में गैंग के सदस्य कृष्ण कुमार उर्फ रूस्तम ने ग्राहक के रूप में वादी शत्रुहन लाल तिवारी निवासी खरगूपुर बाजार से

सम्पर्क किया। जिन्हे उक्त कीमती जमीन दिखाकर सस्ते मूल्य में दिलाने हेतु बताकर उसकी कीमत 58 लाख रुपए में तय की गयी। गैंग के सदस्य काजल देवी को भूमि मालकीन मालती देवी बनाकर उनके नाम का फर्जी परिचय पत्र, आधार कार्ड तैयार किया गया तथा काजल का मालती देवी के नाम से बैंक में फर्जी खाता भी खुलवाया गया। जिसमें अलग -अलग तारीख में कुल 35 लाख रूपये RTGS व 23 लाख रूपये कैश लिए गये थे। जब अभियुक्तों को पता चला कि शत्रुहन लाल तिवारी द्वारा थाना खरगूपुर में उनके विरूद्ध धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया है तो दिनांक 03.04.2025 को रात्रि 08.30 बजे अमडोहवा नहर के पास अभियुक्त रूस्तम मिश्रा उर्फ कृष्ण कुमार, शशांक तिवारी, शशांक का भाई व ड्राइवर द्वारा मुकदमा वादी शत्रुहन लाल तिवारी को रास्ते में रोककर गाली गुप्ता देकर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दी। जिस पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियक्तगण-

01. शशांक तिवारी पुत्र देवनरायन तिवारी निवासी ग्रा0 भगवानदीन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. कृष्ण कुमार उर्फ रूस्तम पुत्र सालिकराम निवासी ग्रा0 कहला तेन्दुआ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. अशोक चौहान पुत्र दीनानाथ चौहान निवासी ग्राम खरगौरा जनूब थाना विश्वेरगंज जनपद बहराइच।
04. अशोक यादव पुत्र राघवराम निवासी ग्रा0 टेडवा महन्थ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।
05. राजू मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी ग्रा0 मुण्डेरवा ठकुराईन थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
06. शान्ति देवी पत्नी दीनानाथ चौहान निवासी खरगौरा जनूब थाना विश्वेरगंज जनपद बहराइच।
07. काजल देवी पत्नी मिश्रीलाल निवासी ग्रा0 जमुनहा भवनियापुर रामगढी थाना नानपारा जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-62/2025, धारा 126(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. ठगी के 21 लाख 40 हजार 1 सौ रूपये
02. घटना में प्रयुक्त 08 अदद मोबाइल फोन
03. 01 अदद चार पहिया वाहन (होण्डा अमेज) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष खरगूपुर प्रदीप कुमार सिंह
02. व0उ0नि0 पंकज कुमार
03. उ0नि0 कामेश्वर राउत
04. हे0का0 आदित्य यादव
05. हे0का0 राजकिशोर
06. हे0का0 राहुल मिश्रा
07. हे0का0 धनन्जय सिंह
08. का0 गौतम प्रसाद
09. म0का0 शालिनी यादव
10. म0का0 कल्पना वर्मा
11. एसओजी/सर्विलास मय टीम जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शशांक तिवारी पुत्र देवनरायन

1. मु0अ0सं0 244/2018 धारा 323/332/427/504/506 आईपीसी थाना कौडिया जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना खरगूपुर, गोण्डा
3. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 126(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना खरगूपुर, गोण्डा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रुस्तम उर्फ कृष्ण कुमार पत्र सालिकराम

01. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) थाना खरगूपुर, गोण्डा

2. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 126(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना खरगूपुर, गोण्डा

3. मु0अ0सं0 305/96 धारा 395/397 आईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच

4. मु0अ0सं0 310/96 धारा 396 आईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच5. मु0अ0सं0 31/99 धारा 398/399/400402 आईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच

6. मु0अ0सं0 33/99 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पयागपुर जनपद बहराइच

7. मु0अ0सं0 273/98 धारा 382 आईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच

8. मु0अ0सं0 276/98 धारा 393/39 आ ईपीसी थाना पयागपुर जनपद बहराइच

9. मु0अ0सं0 112/02 धारा 110 सीआरपीसी

10. मु0अ0सं0 128/04 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम

11. मु0अ0सं0 162/08 धारा 302 आईपीसी थाना खरगपुर, जनपद गोण्डा

मीडिया सेल, गोण्डा।